

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या:-6/वि0पत्रा0-24-34/2025

पटना, दिनांक-

श्री राज किशोर राम, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), बाढ़ अंचल, बाढ़ को वित्त विभाग के पत्रांक-2498, वि0(2) दिनांक-12.04.2007 एवं पत्रांक-9889/वि0, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में उनकी द्वितीय संतान के लिए दिनांक-28.04.2025 से 12.05.2025 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

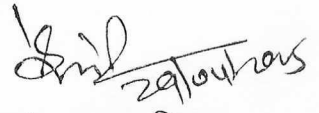
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-34/2025 1891

पटना, दिनांक- 02/05/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0(स्था0), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राज किशोर राम, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), बाढ़ अंचल, बाढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।